

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 11/2021

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्री समाराम पुत्र श्री पोमाजी जाति रेबारी निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा
2. श्री देवाराम पुत्र श्री पोमाजी जाति रेबारी निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		
3. श्री नीबाराम पुत्र श्री जगमालजी जाति रेबारी निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		
4. श्री जोगाराम पुत्र श्री जगमालजी जाति रेबारी निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		
5. श्री सवीया पुत्र श्री धुलाजी जाति रेबारी निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		
6. श्री गजाराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति रेबारी निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		
7. श्री भेराराम पुत्र श्री सांकलाजी जाति रेबारी निवासी वीरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।		



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिस्थिति.:

1. श्री नारायणलाल कुम्हार अधिवक्ता अपीलांट।
2. नीरज कुमारी नायब तहसीलदार सिरौही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 08.09.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 64/2020 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरुद्ध दिनांक 30.07.2021 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया।

न्यायालय, सिरौही

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा ग्राम वीरोली पटवार हल्का नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 205 रकबा 0.02 बीघा एवं 0.03 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता पर अपीलार्थी को नये सर अतिक्रमी मान कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रुपये 50/- का जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये। जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये गये हैं जिसमे पटवारी द्वारा पूर्व में मौके से बेदखल करने का कथन सिद्ध नहीं होता है। अपीलान्ट को जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, ना ही अपीलांट को किसी तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा न तो कोई अतिक्रमण किया गया है या विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है।

प्रथम पेशी पर ही उसके विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1474, आर.आर.डी. 1993 पेज 465, एवं आर.आर.डी. 2001 पेज 401 प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से बहस में परोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नहीं हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी

जिला कलेक्टर, विरोही

अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2077 में रास्ता कर अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमें पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी नहीं किया गया है। विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांत को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांत तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद है। अपीलान्त अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पश्चात्वृत्ति अतिक्रमण का नोटिस जारी किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये है मानने योग्य प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने पर उसकी उपस्थिति अंकित है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन अपने आदेशिका में किया गया है कि अपीलान्त हाजिर है। अलग से लिखे गये निर्णय में उसे उपस्थित बताया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय पर अपने हस्ताक्षर दिनांक 21.09.2020 को किये जाने पाये जाते हैं।

नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा अपने निर्णय में पटवारी के रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है। पटवारी द्वारा पूर्व में अतिक्रमण हटाने बाबत कथन अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। पत्रावली पर पूर्ववर्ती अतिक्रमण के साक्ष्य मौजूद नहीं है। अपीलांत अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा जुर्माना राशि रुपये 50/- (अक्षरे पचास रुपये) पटवारी हल्का को जमा करा दिये गये हैं।


अपीलांत गरीब व्यक्ति है इसलिए उस पर नरमाई का रूख अपनाया जाना विधि सम्मत है उसके कारागृह में रहने के कारण उसका परिवार मानसिक एवं आर्थिक पीडा भुगतने को विवश होगा जो न्याय के विपरित होगा। अपीलांत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2005(2) पेज 1474 रिविजन नं. 51 झुन्झुनु-2002 जो माननीय पी.सी.बलाई सदस्य, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा दिनांक 17.5.2005 को निर्णित की गई उसके पैरा संख्या 7 में भी नायब तहसीलदार, मलसीसर के सिविल कारावास के निर्णय को अपास्त किया गया है। आरआरडी 1996 पेज 585 की नजीर से भी हम पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पारित निर्णय में जुर्माना एवं बेदखली का

जिला कलेक्टर, गिरोही

आदेश यथावत कायम रखते हुए अपीलान्त की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करें।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।




(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरसी